रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2005/आषाढ़ 3, 1927
No. 636] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2005/ASADHA 3, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2005

का.आ. 884(अ).—भारत सरकार ने राज्य स्तर के मूल्यवर्धित कर (वैट) के लागू होने के कारण होने वाले किसी भी राजस्व घाटे के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इस मुआवजे का भुगतान वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 के दौरान क्रमशः 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की दर से किया जाएगा। इस विषय पर राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए नियम तथा प्रणालियों सहित राजस्व विभाग के दिनांक 5 फरवरी, 2005 के पत्र फा. सं. 21/1/2004-एस टी (पार्ट-II) के माध्यम से राज्यों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए थे।

2. राज्यों को मुआवजे का भुगतान सही एवं समय पर करना तथा इससे संबंधित सभी मुद्दों का शीघ्र एवं समुचित तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) सचिव, व्यय विभाग	—	अध्यक्ष
(ख) वित्त मंत्री के सलाहकार	—	सदस्य
(ग) अध्यक्ष, के. उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	—	सदस्य
(घ) सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति	—	सदस्य
(ङ) नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि	—	सदस्य
(च) किसी भी राज्य का महालेखाकार	—	सदस्य
(छ) अपर सचिव (राजस्व)	—	सदस्य
(ज) निदेशक (बिक्री कर) राजस्व विभाग	—	सदस्य-सचिव

3. समिति, यथा आवश्यकता अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए दिनांक 3 फरवरी, 2005 के पत्र फा. सं. 21/1/2004-एस टी (पार्ट-II) में दिए गए सिद्धातों

के अनुरूप वैट को प्रारंभ करने के कारण राजस्व घाटों और मुआवजे की राशि की गणना के लिए पद्धति का निर्धारण करना।

(ख) राज्य स्तर पर राजस्व घाटों के निर्धारण तथा राज्य स्तर पर दिए जा रहे मुआवजे की राशि का पर्यवेक्षण करना;

(ग) वैट को लागू करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजे का भुगतान करने से संबंधित सभी मुद्दों पर सरकार के साथ विचार-विमर्श करना एवं सलाह देना।

समिति, 31 मार्च, 2008 तक अर्थात् वैट लागू करने के कारण जिस अवधि तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजे का भुगतान देय है, कार्य करेगी।

[फा. सं. 21/1/2004-एस.टी.]

ललित कुमार गुप्ता, निदेशक (बिक्री कर)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2005

S.O. 884(E).—The Government of India has taken a decision to provide compensation to the States/UTs, in case of any loss of revenue, on account of introduction of State Level Value Added Tax (VAT). The compensation shall be paid @ 100%, 75% and 50% of the revenue loss, during 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008 respectively. The necessary instructions on this subject, containing the formula and the modalities for payment of compensation to the States, were issued to the States, vide letter F. No. 21/1/2004-ST (Pt-II) dated 3rd February, 2005, of the Department of Revenue.

2. In order to ensure that the payment of compensation is made to the States in an accurate and timely manner and that all issues connected therewith are resolved expeditiously and in an appropriate manner, it has been decided to constitute a Committee at the Central level, with the following Members :

(a)	Secretary, Department of Expenditure	—	Chairman
(b)	Adviser to the Finance Minister	—	Member
(c)	Chairman, CBEC	—	Member
(d)	Member-Secy., Empowered Committee	—	Member
(e)	Representative of C & AG	—	Member
(f)	Accountant General of a State	—	Member
(g)	Additional Secretary (Revenue)	—	Member
(h)	Director (ST), Deptt. of Revenue	—	Member-Secretary

3. The Committee can co-opt additional members, if required.

4. The terms of Reference of the Committee shall be as follows :

(a) To determine the methodology for calculation of revenue losses and the amount of compensation, on account of introduction of VAT, in accordance with the principles cited in letter F. No. 21/1/2004-ST (Pt-II) dated 3rd February, 2005, sent to the States/UTs.

(b) To oversee the assessment of revenue losses and compensation amount being made at the State level;

(c) To deliberate upon and advise the government on all the issues connected with payment of compensation to States/UTs, on account of introduction of VAT.

5. The Committee shall function up to 31st March, 2008, i.e., the period up to which compensation is payable to States/UTs, on account of introduction of VAT.

[F. No. 21/1/2004-ST]

L. K. GUPTA, Director (ST)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.